न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः— श्री आशीष कुमार (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 40/2013

बउनवानः—

1. कान्ति पुत्री गोपीलाल पत्नि लटूरलाल जाति नायक निवासी भगवानपुरा हाल मुकाम प्रेमसर जिला श्योपुर कलां मध्यप्रदेश
2. उर्मिला पुत्री गोपीलाल पत्नि जुगराज जाति नायक निवासी भगवानपुरा हाल कुमार जोरावरपुरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा

..प्रार्थीयागण

♠ बनाम ♠

1. रामसिया पुत्री गोपीलाल पत्नि राजेश कुमार जाति नायक निवासी भगवानपुरा
2. घनश्याम पुत्र
3. केला बाई बेवा मथुरालाल जाति नायक निवासी भगवानपुरा तह0 मांगरोल
4. गुलाब पुत्र जयलाल जाति नायक निवासी भगवानपुरा
5. राधेश्याम
6. जानकीलाल पुत्रान पन्नालाल जाति नायक निवासी भगवानपुरा
7. कमलेश बाई पुत्री पन्नालाल जाति नायक निवासी भगवानुपरा हाल मुकाम माली हेडा तह0 सांगोद जिला कोटा
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

वकील वादीगण : श्री लिहाज हुसैन

वकील प्रतिवादीगण : श्री हरिओम यादव

दायरा दिनांकः 25.06.2013 निर्णय दिनांक : 15.04.2019

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भगवानपुरा तह0 मांगरोल की हाल खाता संख्या 17 के आराजियात खसरा नं0 117/742 रकबा 0.45 है0, खसरा नं0 125 रकबा 1.07 है0, खसरा नं0 154 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 207 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 214 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 368 रकबा 0.86 है0, खसरा नं0 409 रकबा 2.01 है0, खसरा नं0 410 रकबा 0.43 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 5.00 है0 अवस्थित है। उक्त आराजीयात प्रार्थीयागण व अप्रार्थी कम 1 का हिस्सा 1/4 व अप्रार्थी क्रम 2 ता 4 का हिस्सा 1/2 व अप्रार्थी कम 5 ता 7 का हिस्सा 1/4 निहित है। जो बतौर खातेदार दर्ज है। प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थीगण के मध्य पूर्व में मौखिक बंटवारा हो चुका है। बंटवारा के अनुसार प्रत्येक अपने—अपने हिस्से के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। इस तरह प्रार्थीया कान्ति बाई का हिस्सा सम्पूर्ण खाते में 1/12 व प्रार्थीया उर्मिला का हिस्सा 1/12 निहित है। उसी अनुसार काबिज है। प्रार्थीयागण व अप्रार्थीगण के मध्य कर्ता पिलाई आदि को जमा करवाने हेतु आपस में विवाद होता रहता

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner

है। व प्रार्थीयागण भूमि में सुधार नही कर पा रही है। इस लिए शामलाती खाता रखा जाना संभव नही है। इस कारण प्रार्थीया कांती बाई अपना संपूर्ण खाते में 1/12 हिस्सा व उर्मिला बाई 1/12 हिस्सा पृथक–पृथक दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। प्रार्थीयागण व अप्रार्थी नं0 1 का सम्पूर्ण खाते में 1/4 हिस्सा है। लेकिन प्रार्थीया गण वर्तमान में बाहर निवास करने के कारण अप्रार्थी कम 1 प्रार्थीया के हिस्से को भी जबरन हांकना चाहती है और बलपूर्वक कब्जा करने पर आमादा है। प्रार्थीयागण ने अप्रार्थीगण से कई बार खाता पृथक कराने का निवेदन किया लेकिन वह तैयार नही हुए और खाता शामलाती रहने से अप्रार्थी नं0 1 ने समस्त 1/4 हिस्से को जबरन बलपूर्वक हांकने की धमकी दी। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि उक्त वर्णित आराजी कुल किता 8 रकबा 5.00 है0 सम्पूर्ण खाते में प्रार्थीया कान्ति बाई का हिस्स 1/12 व प्रार्थीया उर्मिला का हिस्सा 1/12 में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना करें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 25.06.2013 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1 की और से अधिवक्ता श्री हरिओम यादव ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी कम 2 ता 7 बावजूद सूचना आदिनांक तक अनुपस्थित होने से उन्हे एक्स पार्टी कर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थीया गण व अप्रार्थी कम 1 के अधिवक्ता की दिनांक 15.04.2019 को बहस सुनी गयी।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण से संबंधित मूल वाद 72/2013 न्यायालय में जैरकार है। सुनी गयी बहस व पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात के आधार पर ग्राम भगवानपुरा तह0 मांगरोल की हाल खाता संख्या 17 के आराजियात खसरा नं0 117/742 रकबा 0.45 है0, खसरा नं0 125 रकबा 1.07 है0, खसरा नं0 154 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 207 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 214 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 368 रकबा 0.86 है0, खसरा नं0 409 रकबा 2.01 है0, खसरा नं0 410 रकबा 0.43 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 5.00 है0 में प्रार्थीयागण का हिस्सा निहित है अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर आदेशित किया जाता है कि न्यायालय में जैरकार प्रकरण संख्या 72/2013 में निर्णय पारित नही किये जाने तक प्रार्थीयागण के हिस्से आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें और न ही अपने प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली नम्बर से कम होकर निर्णित शुमार हो बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2019 को सरेईजलास में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल
(आशीष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner